संपादकीय जागरण

मंगलवार, 22 अगस्त, 2017 : भाद्रपद शुक्ल 1 वि. 2074

परिश्रम का संकल्प लिए बिना इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती

# जमानत के बाद

**मालेगांव में** बम विस्फोट के आरोपी श्रीकांत पुरोहित को सशर्त जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई इस टिप्पणी की अनदेखी करना कठिन है कि किसी की जमानत की मांग सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि एक समुदाय की भावनाएं अभियुक्त के खिलाफ हैं। क्या श्रीकांत पुरोहित अभी तक इसी आधार पर जमानत से वंचित रहे? इस सवाल का चाहे जो जवाब हो, यह समझना कठिन है कि जिस मामले में किसी को अधिकतम सात साल तक की सजा हो सकती है उसे आठ साल से अधिक समय तक जेल में रखने का क्या औचित्य? सेना में कर्नल रहे श्रीकांत पुरोहित का नाम मालेगांव धमाके में आने के बाद ही यह गंभीर सवाल उठा था कि क्या आतंकी कृत्य में शामिल संगठन की घुसपैठ सेना के अफसरों तक हो चुकी है? यह ठीक नहीं कि मालेगांव धमाके के करीब नौ साल बाद भी यह प्रश्न अनुत्तरित है। इस मामले में जो संगठन कठघरे में खड़ा हुआ और जिसकी मदद करने के आरोप में श्रीकांत पुरोहित को गिरफ्तार किया गया वह अभिनव भारत है। इस संगठन का साथ देने वालों में एक अन्य नाम प्रज्ञा ठाकुर का भी था, लेकिन विस्फोट कराने के आरोप सिद्ध न होने पर उसे जमानत मिल गई। जाहिर है कि इससे श्रीकांत पुरोहित पर सैन्य ठिकाने से आरडीएक्स विस्फोटक चुराकर प्रज्ञा ठाकुर और उसके साथियों को देने का आरोप अपने आप खारिज हो गया। यह भी पुरोहित के पक्ष में गया कि प्रारंभ में इस मामले की जांच करने वाले महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते और फिर जांच हाथ में लेने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निष्कर्ष विरोधाभासी हैं।

निःसंदेह श्रीकांत पुरोहित को जमानत मिलने का यह मतलब नहीं कि उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है, लेकिन यह विचित्र है कि करीब नौ साल बाद भी यह जानना कठिन है कि मालेगांव मामले की सुनवाई कब पूरी होगी? आखिर आतंकी घटना की जांच में इतनी हीलाहवाली क्यों? ऐसी ही हीलाहवाली समझौता ट्रेन में विस्फोट के मामले में भी देखने को मिल रही है। क्या यह महज एक दुर्योग है कि इन दोनों मामलों को हिंदू आतंकवाद के तौर पर पेश किया गया और दोनों पर ही अंतिम फैसले का अता-पता नहीं? प्रज्ञा ठाकुर की ही तरह श्रीकांत पुरोहित का यह कहना है कि उन्हें राजनीतिक खेल में फंसाया गया। इस कथित राजनीतिक खेल का पर्दाफाश होना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों मामलों को लेकर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हिंदू आतंकवाद का जुमला एक राजनीतिक साजिश के तहत उछाला गया। यदि इस आरोप में तनिक भी सत्यता है तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं, लेकिन वास्तव में ऐसा है या नहीं, इसके लिए यह आवश्यक है कि मालेगांव बम धमाके के साथ ही समझौता ट्रेन में विस्फोट के मामले की जांच नीर-क्षीर ढंग से भी हो और तेजी से भी। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि आतंकवाद के जो भी अन्य मामले हैं उनमें भी जांच और अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाने का काम प्राथमिकता के आधार पर हो। इसका कोई मतलब नहीं कि आतंकी घटनाओं के निस्तारण में तत्परता का परिचय नहीं दिया जा रहा है।

# जानलेवा आदत

**मुरादाबाद जिले** में हाईवे के किनारे खुले में शौच को गये ट्रक चालक को सांप ने डंस लिया। ट्रक चालक लखनऊ से जालंधर के लिए चला था और नित्यक्रिया के लिए ढाबे पर रुका था। वहीं उसके साथ यह हादसा हुआ। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। ऊपर से यह घटना बहुत मामूली लगती है लेकिन, तह तक जाने पर पता लगता है कि हादसे के पीछे खुले में शौच की आदत मुख्य कारण है। खुले में शौच वैसे ही स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है लेकिन, बरसात के दिनों में तो यह आदत जानलेवा हो सकती है। ट्रक चालक ने शौचालय का इस्तेमाल किया होता तो आज जीवित होता। उसकी असमय मौत से परिवार पर मुसीबतों का जो पहाड़ टूटा वह संकट पैदा न होता। इस ट्रक चालक की तरह हर साल बरसात के दिनों में खुले में शौच करने वाले न जाने कितने लोग सांप-बिच्छू आदि विषैले जीवों का शिकार बनते हैं। ये घटनाएं दूर-दराज के इलाके में होने के कारण सामने नहीं आ पातीं और न ही उन पर कोई चर्चा होती है।

दरअसल सरकार खुले में शौच से रोक के लिए हरसंभव उपाय कर रही है। हर घर में शौचालय बने और लोग उसका इस्तेमाल करें इसके लिए निश्चित राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। प्रचार-प्रसार के लिए हर यत्न के अलावा सरकारी मुलाजिम गांवों जाकर लोगों को इस आदत के दुष्परिणाम बता रहे हैं। स्वच्छता समितियां बनाई गई हैं। कहीं-कहीं तो खुले में शौच कर रहे लोगों को सीटी बजाकर रोका जा रहा है। गुलाब के फूल दिए जा रहे हैं। इतना होने पर भी लोगों की आदत नहीं बदल रही है। कई जगह तो देखने में आया है कि घर में शौचालय बनवा लेने के बाद भी लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बरसात के दिनों में खुले में शौच करने से संक्रामक रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लोग डायरिया, पेचिश, बुखार आदि की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। अस्पतालों में भी इन दिनों ऐसे मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है। ये बातें लोगों को बार बार बताई भी जाती हैं लेकिन, वे इस खतरे को मानने को तैयार नहीं होते और परेशानी उठाते हैं। लोग अपने रवैये में सुधार कर लें तो जो हादसा उस ट्रक चालक के साथ हुआ वैसा भविष्य में किसी और के साथ न हो।

बरसात के दिनों में खुले में शौच करने से संक्रामक रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लोग डायरिया, पेचिश, बुखार आदि की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं

## कह के रहेंगे

माधव जोशी




## जागरण जनमत

कल का परिणाम

**क्या तमाम कोशिशों के बावजूद रेलवे में सुरक्षा के मोर्चे पर अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहे हैं?**




**आज का सवाल**

क्या अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों के विलय से तमिलनाडु में विरोधी दलों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें

**Y** –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

# सामाजिक न्याय का सही स्वरूप



**निरंजन कुमार**

**पिछड़े वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में भी उपवर्ग की अवधारणा को लागू करने की जरूरत है**

आरक्षण से संबंधित विभिन्न समाचार पिछले कुछ समय से सुर्खियों में हैं। एक हालिया खबर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर प्रकाशित हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इन पिछड़ी जातियों के आरक्षण के अंतर्गत कुछ उपवर्ग जैसी श्रेणी बनाने की योजना है। हालांकि इस पहलू को लेकर सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी सवाल उठता है कि आरक्षण के भीतर उपवर्ग की यह अवधारणा क्या है और इसे बनाने की बात क्यों उठ रही है? साथ ही यह भी कि इसके क्या राजनीतिक-सामाजिक परिणाम हो सकते हैं? यहां एक प्रश्न यह भी उठता है कि उपवर्ग जैसी परिकल्पना क्या पिछड़ी जातियों तक ही सीमित रहे या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर भी यह लागू होनी चाहिए? जब संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार या शिक्षा इत्यादि में आरक्षण दिया गया तो यह मान लिया गया था कि इन वर्गों में शामिल सभी जातियां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य पैमानों पर वंचना के समान धरातल पर अवस्थित हैं और उनके उत्थान के लिए समवेत रूप से एक साथ ही आरक्षण तय कर दिया गया है। अनजाने या जानबूझकर इस चीज की अनदेखी कर दी गई कि इन समुदायों में शामिल विभिन्न जातियां या जनजातियां विकास और अन्य पैमानों पर अलग-अलग पायदान पर खड़ी हुई हैं। जब 1978 के मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर वीपी सिंह सरकार ने 1991 में केंद्रीय सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की तो एक बार फिर अखिल भारतीय पैमाने पर सभी पिछड़ी जातियों को पिछड़ेपन के समान स्तर पर मान लिया गया। जबकि बिना किसी अध्ययन-सर्वे के भी शिक्षित समुदाय में यह एक आम समझ थी कि इन पिछड़ी जातियों में शुमार जातियों में भी कई स्तर हैं, लेकिन जाने-अनजाने एक बार फिर इस स्तरीकरण की अनदेखी कर दी गई।

यह न केवल अतार्किक, अनुचित और अनैतिक था, बल्कि संविधान की भावना के प्रतिकूल भी था। यह संविधान प्रदत्त मूलभूत अधिकार विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के अधिकार का भी उल्लंघन है जो अनुच्छेद 14 में उल्लिखित है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर बनाम भारत संघ (1986) अथवा सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है- 'जो समान नहीं हैं उनके साथ समानता का व्यवहार करना उचित नहीं है। आवश्यक यह है कि उनके साथ उनकी असमानता की स्थिति को ध्यान में रखकर आचरण किया जाए', लेकिन इस अनदेखी की वजह से केंद्र सरकार की सेवाओं अथवा शैक्षणिक संस्थाओं में कुछ ही जातियों का वर्चस्व नजर आता है। कमोबेश विभिन्न राज्यों भी में कुछ प्रभुत्वशाली पिछड़ी जातियों ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश में अपना कब्जा जमा लिया है। अपवादों को छोड़ दें तो पिछड़ी जातियों में शुमार अन्य जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि वर्तमान व्यवस्था को ये वर्चस्वशाली जातियां येन-केन-प्रकारेण बनाए रखना चाहती हैं। संयोग से ये जातियां राजनीतिक रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली हैं और किसी भी परिवर्तन के खिलाफ हैं। आरक्षण का जो उद्देश्य और भावना है उसके पीछे सामाजिक न्याय की अवधारणा है। यानी आरक्षण के जरिये समाज के उन कमजोर तबकों को देश के रोजगार, शिक्षा, संसाधनों और आर्थिक विकास में समुचित भागीदारी देना है जो सदियों से इनसे वंचित रहे हों, लेकिन हकीकत में वर्तमान व्यवस्था में यह सही रूप में नहीं हो पा रहा है। दुर्भाग्यवश केंद्र की पिछली सरकारों ने इस स्थिति को जाने-अनजाने नजरअंदाज ही किया।

पिछड़ी जातियों में शुमार अन्य जातियों को भी सामाजिक न्याय के फल चखने को मिलें, इसके लिए इस दिशा में अविलंब कुछ करने की जरूरत है। यथास्थिति बनाए रखना तो इन वंचित तबकों के साथ सामाजिक अन्याय ही होगा। इसी बिंदु पर उपवर्ग की अवधारणा सामने आती है अर्थात आरक्षण सीमा के भीतर विभिन्न आधारों पर अलग-अलग उपश्रेणियां बनाना।



अवधेश राजपूत

विभिन्न पिछड़ी जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति आदि के आधार पर आरक्षण सीमा में कुछ उपवर्ग बनाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी आदि के उदाहरण मौजूद हैं। इन राज्यों में पिछड़ी जातियों की स्थिति के आधार पर आरक्षण सीमा के अंतर्गत 2 से 3 उपवर्ग बनाए गए हैं, ताकि आरक्षण के प्रतिफल में सब भागीदार बन सकें। आंध्र प्रदेश में तो पिछड़ों के लिए आरक्षण सीमा के अंतर्गत पांच उपवर्ग बनाए गए हैं। आरक्षण के भीतर आरक्षण की एक पहल राजनाथ सिंह ने तब की थी जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राहुल गांधी भी आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग का समर्थन कर चुके हैं। मोदी सरकार इस बारे में कुछ भी सोच रही है, यह समय की मांग है कि केंद्र सरकार और केंद्रीय संगठनों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न पिछड़ी जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, संख्यात्मक और भौगोलिक स्थिति इत्यादि के आधार पर कम से कम तीन उपवर्ग बनाए जाएं और फिर 27 प्रतिशत सीमा के अंदर आरक्षण कोटे का तदनुसार बंटवारा किया जाए। इसके लिए बिना किसी देरी के एक आयोग या समिति का गठन किया जाए जो एक निश्चित समय सीमा के अंदर अपनी सिफारिशें दे दे।

राज्यों में भी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा के तहत 2 से 3 उपवर्ग बनाने की जरूरत है। राजग सरकार का कदम राजनीतिक रूप से कितना लाभकारी होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जहां तक सामाजिक न्याय, नैतिकता और संविधान की मूलभूत भावना का प्रश्न है तो सरकार के इस कदम के निश्चित रूप से सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे और जो अंततः राष्ट्रनिर्माण में भी सहायक होगा। इसी तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में भी उपवर्ग की अवधारणा को लागू करने की जरुरत है। इन दोनों समुदायों में भी कुछ ही जातियों और जनजातियों ने आरक्षण का सारा फायदा उठा लिया है। केंद्र या राज्य सेवा परीक्षाओं के परिणाम की कोई भी सूची को देख लीजिए, कुछ खास जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों के ही नाम नजर आते हैं। ये लोग एक स्वार्थ समूह और दबाव समूह की तरह कार्य करते हैं और किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं, अन्य जातियों और जनजातियों के साथ ये लोग एक तरह से सामाजिक अन्याय कर रहे हैं। इस दिशा में बिहार के महादलित आयोग 2007 के मॉडल से कुछ सबक लिया जा सकता है। जब नीतीश कुमार सरकार ने अनुसूचित जाति के अंदर दलित और महादलित उपवर्गों का विभाजन किया। हालांकि यह विभाजन कल्याणकारी योजनाओं तक ही सीमित रह गया। नीतीश कुमार सरकार आरक्षण में इसको लागू नही करा पाई। समय आ गया है कि पिछड़ी जातियों के साथ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के वंचित तबके साथ मिलकर अपने अधिकार और वास्तविक सामाजिक न्याय के लिए सार्थक पहल करें।

(लेखक सामाजिक-राजनीतिक मसलों के विशेषज्ञ एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

**response@jagran.com**

# असुरक्षा का निराधार आरोप



**बलबीर पुंज**

**आजादी की लड़ाई में मुस्लिम असुरक्षा पर मुस्लिम लीग कांग्रेस को जैसे निशाना बनाती थी वैसे ही अब कांग्रेस कर रही है**



बीते 17 अगस्त को यूरोपीय देश स्पेन दो-दो आतंकी हमलों से दहल उठा। पहला हमला बार्सिलोना में हुआ जहां भीड़-भाड़ वाली सड़क पर आतंकी ने नीस में 'लोन वुल्फ' हमले की तर्ज पर वाहन से निरपराध मासूमों को रौंद डाला। इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 130 घायल हो गए। दूसरा हमला केम्ब्रिल्स में हुआ-यहां आतंकियों ने लोगों पर गोलीबारी की जिसमें एक महिला की मौत हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पांच आतंकी घटनास्थल पर ही मारे गए। इन हमलों की जिम्मेदारी कुख्यात आतंकी संगठन आइएस ने ली है। बार्सिलोना हमले के अगले ही दिन फिनलैंड के टुर्कू शहर में कई लोगों पर चाकू से हमले की खबर सामने आई जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि छह घायल हो गए। जनवरी 2016 से अगस्त, 2017 के मध्य तक यूरोप 70 से अधिक इस्लामी आतंकवादी हमलों और मजहबी हिंसा का दंश झेल चुका है। इन कुकर्मों को अंजाम देने वाले अधिकांश मुस्लिम शरणार्थी हैं। क्या इस परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम समाज स्वयं को यूरोप में 'सुरक्षित' समझता है?

भारत में बतौर उपराष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम दिनों में हामिद अंसारी ने एक साक्षात्कार में कहा, 'देश में मुस्लिमों के भीतर असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है।' इसके अतिरिक्त बेंगलुरु में एक दीक्षांत समारोह में उन्होंने 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' को गैर-उदारवादी बताते हुए इसे 'असहिष्णुता' को बढ़ावा देने वाला तत्व बताया। इन दोनों वक्तव्यों का भाव यह है कि मोदी/भाजपा शासन में मुस्लिमों में 'असुरक्षा' की भावना निरंतर बढ़ रही है। यह ठीक है कि हामिद अंसारी देश के सभी 20 करोड़ मुस्लिमों की भावना का दावा नहीं करते है, परंतु कटु सत्य यही है कि देश में मुस्लिम समाज का एक वर्ग स्वयं को भारत में असंतुष्ट, नाराज और असुरक्षित मानता है। अंसारी साहब ने सत्य तो बोला, किंतु पूरा नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा, वह आधा सच है जो कि एक सफेद झूठ से कई गुना घातक है।

सच्चाई यह है कि मुसलमानों का एक वर्ग न तो भारत में और न ही शेष विश्व में सुरक्षित अनुभव करता है। इसी सत्य का दूसरा भाग यह है कि भारत में मुस्लिम समाज के बड़े हिस्से में 'असुरक्षा' की भावना बीते तीन वर्षों से नहीं है, बल्कि यह तब से है जब दिल्ली में इस्लामी साम्राज्य का अंत हो गया। यदि मुसलमान इस 'असुरक्षा' की भावना से ग्रस्त नहीं होता-तो न ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती और न ही 1920 के आसपास सुरक्षा की खोज में भारत में हिजरत होती और न ही बंटवारे के लिए हिंसा और न ही 14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान का जन्म होता। भारत के रक्तरंजित विभाजन के पीछे की मानसिकता क्या थी? मुसलमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंदुओं के साथ बराबर बैठने में 'असुरक्षा' का अनुभव करते थे। इसी भावना को मोहम्मद अली जिन्ना ने आवाज प्रदान की। अंततोगत्वा, अंग्रेजी साम्राज्य की मेहरबानी और वामपंथियों की बौद्धिक खुराक से उस इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान की सीमा खींची गई जिसका मौलिक आधारभूत दर्शन प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से 'काफिर' भारत को खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। तकरीबन 95 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाला पाकिस्तान क्या 'असुरक्षा' बोध से ग्रस्त नहीं है? 70 वर्षों के दमन के कारण वहां हिंदू-सिख जनसंख्या लगभग नगण्य हो गई है। इस पर भी 'असुरक्षा' की भावना से ग्रस्त होकर आज वहां मुस्लिम एक-दूसरे के खिलाफ हिंसा में लिप्त हैं। गत 14 वर्षों में वहां मजहबी हिंसा और आतंकी हमलों में 62,403 निरपराध लोगों की मौत हो चुकी है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि वहां हिंसा करने वाले और लगभग उसके सभी शिकार, दोनों मुस्लिम हैं और ये हत्याएं इस्लाम के नाम पर हो रही हैं।

क्या मुसलमान चीन और अमेरिका में सुरक्षित अनुभव करते हैं? अमेरिका में 'इस्लाम का दमन हो रहा है' जैसे जुमले हमें अक्सर सुनने को मिलते है। पाकिस्तान से गहरी मित्रता होने बावजूद चीन के शिनजियांग प्रांत में इस्लाम अनुयायी कितने 'असंतुष्ट' और 'असुरक्षित' हैं, यह उइगर समाज और सरकार के बीच जारी संघर्ष से स्पष्ट हो जाता है। क्या मुस्लिमों के लिए इराक और सीरिया सुरक्षित हैं? इराक में इस वर्ष 15 अगस्त तक 11,263 नागरिक मारे जा चुके हैं। जबकि मार्च 2011 से अब तक सीरिया की कुल आबादी का 11.5 प्रतिशत भाग या तो मारा जा चुका है या फिर घायल है। इस त्रासदी के पीछे इस्लाम के नाम पर नरसंहार करने वाला आइएस संगठन है जो आज शेष विश्व में गैर-मुस्लिमों और उनके मजहब के प्रति 'असुरक्षा' के भाव से ग्रस्त होकर हिंसक कृत्यों को अंजाम दे रहा है। बार्सिलोना आतंकी हमला उसकी ही परिणति है।

हामिद अंसारी का हालिया वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भाजपा को ही कटघरे में खड़ा करता हैं। गत तीन वर्षों के शासन में यहां मुस्लिमों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है। 'यह शासन फासीवादी है...गोरक्षा की बात करते हैं...मुस्लिमों को गोमांस सेवन की अनुमति नहीं देते हैं...यह देश हिंदुओं का है... कहकर मुस्लिमों को अपमानित करते हैं...मस्जिद पर हमले होते हैं...नमाज के समय मस्जिदों के बाहर हिंदू अपने त्योहार के अवसर पर शोर-शराबा करते हैं...उर्दू की उपेक्षा कर हिंदी भाषा को थोपते हैं...वंदे मातरम पर जोर देते हैं...भारत में हिंदू राज स्थापित कर मुस्लिमों के मजहब और उनकी संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र रच रहे हैं।'

उपरोक्त सभी आरोप विभाजन से पूर्व, 1930 और 1940 के दशक में मुस्लिम लीग ने लगातार तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पर लगाए। यह विडंबना ही है कि आज यही लांछन कांग्रेस, वामपंथियों और मुस्लिम लीग के विचारों से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भाजपा पर लगा रही है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के हाथों तुर्की की हार के बाद हुई थी। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधीजी ने किया था, क्योंकि वह उस समय देश में मुस्लिमों के बीच पैदा हुई 'असुरक्षा' की भावना को खत्म करना चाहते थे। फिर भी उस कालखंड में 'असुरक्षित' मुस्लिमों ने भारत को दार-उल-हरब (लड़ाई का घर) घोषित कर दार-उल-अमन (शांति का घर) अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया। अत्यधिक संख्या होने के कारण अफगानिस्तान के तत्कालीन शासक ने शरणार्थी भारतीय मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। जब अहिंसावादी और मुस्लिम हितों की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान देने वाले गांधीजी सहित अमेरिका और यूरोपीय देश जैसे संपन्न राष्ट्र मुसलमानों के बीच 'असुरक्षा' की भावना को दूर करने में असफल रहे हैं तो क्या उस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सफल हो सकते है?

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य और स्तंभकार हैं)

**response@jagran.com**

## ऊर्जा

### नम्रता

नम्रता एक ऐसा दुर्लभ सद्गुण है, जिसे हमें अपने जीवन में धारण करना है। नम्रता का अर्थ ऐसे भाव से जीना है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। जब हमें यह अहसास होता है कि प्रभु की नजरों में सब एक समान हैं तो दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार नम्र हो जाता है। जब हमारा अहंकार खत्म हो जाता है तब हमारा घमंड और गर्व मिट जाता है। तब हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते। हम महसूस करते हैं कि प्रभु की दया से हमें कुछ पदार्थ मिले हैं और जो पदार्थ हमें दूसरों से अलग करते हैं, वे भी प्रभु के दिए उपहार हैं। अपने अंतर्मन में प्रभु का प्रेम अनुभव करने से हमारे अंदर नम्रता आती है। तब हर चीज में हमें प्रभु का हाथ नजर आता है। हम देखते हैं कि करने वाले तो प्रभु हैं। जब हमारे अंतर्मन में इस तरह की आत्मिक नम्रता का विकास होता है तब हमारे अंदर धन, मान-प्रतिष्ठा, ज्ञान और सत्ता का अहंकार नहीं आ पाता। ऐसा कहा जाता है कि जहां प्रेम है, वहां नम्रता है। हम जिनसे प्यार करते हैं उनके आगे अपनी शेखी नहीं बघारते, न ही उन पर क्रोध करते हैं। हमें उन लोगों के प्रति भी इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जिनसे हम अपरिचित हैं। यह भी कहा जाता है कि जहां प्यार है, वहां निःस्वार्थ सेवा का भाव होता है। हम जिनसे प्रेम करते हैं, उनकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन हमें जो भी मिले, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सब में प्रभु की ज्योति है।

अपने भीतर नम्रता विकसित करने का एक तरीका है-ध्यान का अभ्यास। जब हम अपने अंतस में स्थित प्रभु की ज्योति और शब्द से जुड़ते हैं तो हमसे प्रेम, नम्रता और शांति का प्रवाह होता है। हम दूसरों की निःस्वार्थ सेवा करते हैं ताकि उनके दुख-तकलीफ कम हो सकें। जीवन के तूफानी समुद्र में हम एक दीप-स्तंभ बन जाते हैं। समुद्री तूफान के समय जब जहाज और नावें रास्ता भटक जाते हैं तो वे हमेशा दीप-स्तंभ की ओर देखते हैं। एक बार अंतस में प्रभु की ज्योति का अनुभव पाने और यह अहसास करने के बाद की हम प्रभु के अंश हैं, हम एक सच्चे इंसान के प्रतीक बनकर एक प्रकाश-स्तंभ की तरह दूसरों को सहारा देते हैं, उन्हें राह दिखाते हैं। जब हम प्रभु के प्रेम से भर उठते हैं तब हम देखते हैं कि इससे हमारे जीवन में उत्साह का संचार हो गया है।

संत राजिंदर सिंह महाराज

## पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

### संसद का अनादर

मनोनयन का मजाक बनाते सांसद शीर्षक से लिखे अपने लेख में ए. सूर्यप्रकाश ने क्रिकेट के सरताज सचिन तेंदुलकर के राज्यसभा से गैरहाजिर रहने पर सवाल खड़े किए हैं। खिलाड़ियों और फिल्मी हस्तियों को राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक बढ़ाने के मकसद से सांसद बना देते हैं, जबकि सबको पता होता है कि उनकी जिंदगी काफी व्यस्त होती है। खिलाड़ियों और फिल्मी हस्तियों को चाहिए कि अगर उनके पास संसद जाने के लिए समय नहीं है तो फिर से सांसद सदस्यता स्वीकार न करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि सचिन को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का समय नहीं है। लिहाजा उन्हें भी राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना चाहिए ताकि संसद से गैरहाजिर होने के कारण कोई उनकी आलोचना न कर सके। हालांकि लेखक को इस पर भी प्रकाश डालना चाहिए था कि जो निर्वाचित सांसद संसद में बेवजह का हो-हल्ला करते हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या ऐसे सांसदों को भी सदस्यता वापस नहीं ले ली जानी चाहिए? क्योंकि वे भी तो संसद का एक तरह से अनादर करते हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

### रेलवे कार्य शैली सुधारे

लोहे के रास्ते पर दौड़ने वाली ट्रेन अगर बिन लोहे के रास्ते पर दौड़ने लगे तो क्या होगा? इसकी कल्पना तो कोई भी कर सकता है परन्तु रेलवे कर्मचारियों की अक्षम्य लापरवाही का क्या होगा, जिसमें लगभग तीन दर्जन लोग अपनी जान गवां बैठे और सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। रेलवे कर्मचारी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, जबकि उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिर इतनी घोर लापरवाही जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। यह वही भारतीय रेल है जिस पर न जाने कितने लोग बड़े उमंग से बैठकर यात्रा करना चाहते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लालायित होते हैं लेकिन उनको क्या पता कि यह भारतीय रेल है जिसमें गंतव्य तक पहुंचाने की कोई गारंटी नहीं होती। अगर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी इसी प्रकार से लापरवाही करते रहेंगे तो उन भारतीयों के मन में भारतीय रेल के बारे में क्या तस्वीर उभरेगी? इसलिए रेलवे को अपनी कार्य-शैली को सुधारना ही होगा।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

### बेपटरी रेल व्यवस्था

कलिंग उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन जब हरिद्वार की तरफ बढ़ रही होगी तो ट्रेन में सफर कर रहे लोगों में उत्साह और गंगा मैया के दर्शन पाने की ललक होगी। लेकिन तभी एक झटका लगा और वो हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था। तेजी से चल रही ट्रेन बेपटरी हो गई और चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। एक के ऊपर एक चढ़े डिब्बों के नीचे तो कइयों की सांसें थम गईं। हर तरफ बस मदद के लिए पुकारते लोगों की आवाजें सुनाई दे रहीं थीं। ये हादसा कैसे हुआ? दरसअल यहां सिर्फ ट्रेन बेपटरी नहीं हुई है बल्कि पूरी रेल व्यवस्था बेपटरी हुई है। रेलवे के गैर जिम्मेदाराना रैवये की वजह से ही इतनी बड़ी दुघर्टना घट गई।

Pooja.pali02@gmail.com

### कौन है गुनहगार?

मुजफ्फरनगर में हुए रेल हादसे की लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? पिछले तीन साल में 27 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। इसी लापरवाही का नतीजा है रेल हादसा। सरकार तो मुआवजे की घोषणा कर अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन यह पैसा कितने दिन चलेगा? परिवार में जो कमाने वाला चला गया उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या रेल पटरियों को दुरुस्त करने के लिए तीन साल का समय कम है? सरकार को कितना समय चाहिए रेलवे की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए? अभी भी समय है कि सरकार चेते और रेलवे की व्यवस्था को दुरुस्त करे।

प्रीति, भोवापुर, गाजियाबाद

### कहां सुरक्षित हैं बेटियां?

10 साल की एक मासूम सी अबोध बच्ची। इसकी उम्र के बच्चे खेलते कूदते हैं। इसी उम्र में उस नन्ही सी मासूम ने एक बच्ची को जन्म दिया। मां की परिभाषा क्या होती है, उसको क्या पता। वो इस बात से इतनी अनजान थी कि उसे बताया गया कि उसके पेट में पथरी है जिसका इलाज डॉक्टर कर रहे हैं। ये खबर कोई खबर नही है, कालिख है हमारे समाज पर, एक धब्बा है जो कभी नही मिटने वाला। बचपन छिन गया उस बच्ची का, क्या कभी वो वैसी बन पाएगी जो एक दस साल की बच्ची को होना चाहिए। इंसान होने का ओहदा हम खोते जा रहे हैं, जो ऐसी खबर पढ़ कर भी आंखे बंद कर लेते हैं मुंह फेर लेते हैं। क्या भविष्य है हमारे बच्चों का। कब कौन सा वहशी दरिंदा किस भेष में सामने आ जाए, कौन जानता है? कितने सुरक्षित हैं हमारे बच्चे। अखबारों में दो और तीन साल की बच्चियों तक से दुष्कर्म की खबरें छपती हैं। कभी ऐसी खबर नहीं मिली कि ऐसे जघन्य और घिनौना काम करने वाले को मौत की सजा मिली। सो रहा है हमारा कानून, शर्म से डूब मरने वाली बात है कि बरसो बीत जाते हैं और अपराधी बेखौफ घूमते हैं। लड़कियां और बच्चियां घर में कैद हो जाएं, क्या वहां वो सुरक्षित रहेगी? सरकार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए अभियान चला रही है, लेकिन ऐसे दरिंदे नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई दो राय नहीं कि आज हम औरतो को ही बेटी पैदा करने में डर लग रहा है, क्या भविष्य होगा उनका, कब तक हम उनको अपनी ममता की छांव में सुरक्षित रखेंगे। कभी तो उनको घर से बाहर निकालना पड़ेगा। जवाब चाहिए कहां सुरक्षित है वो स्कूल में, पार्क में या घर की चारदीवारी में। कोई जवाब नही है किसी के पास। हम सब ने मुंह पर ताले जड़ दिए हैं। अब सिर्फ एक ही उपाय है, सब मिलकर ऐसा अभियान चलाएं जिससे सरकार जागे, ऐसा प्रावधान लाया जाए जिसमें बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले को सीधा मृत्यु दंड दिया जाए।

डा. शिल्पा जैन सुराणा, shilpasurana48@gmail.com

## ट्वीट-ट्वीट

राजधानी में 35 दिन में 10 सफाई कर्मचारी मौत के मुंह में समा गए। ये वो लोग हैं जो आपकी-हमारी गंदगी साफ करते हैं। कोई इनके लिए आवाज उठाएगा?

मानक गुप्ता@manakgupta

सियासी मोर्चे पर सोमवार का दिन खासा उठापटक भरा रहा। अन्नाद्रमुक का विलय, भाजपा मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक, अमित शाह का तमिलनाडु दौरा रद, मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें, उपेंद्र कुशवाहा का शाह से मिलना।

निस्तुला हेब्बार@nistula



सुना है कि एक ड्रोन की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर सेवाएं कुछ घंटों के लिए बाधित रहीं। लगता है कि ड्रोन एक गुमशुदा मुख्यमंत्री की तलाश में आया था।

सुहेल सेठ@suhelseth

बाबूलाल गौर सीएम बनने के बाद मंत्री बने थे तो पनीरसेल्वम सीएम बनने के बाद डिप्टी सीएम बने हैं। इस लिहाज से वह गौर से आगे हैं!!

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

कर्नल पुरोहित को जमानत मिली है और वह आरोपमुक्त नहीं हुए हैं। एनआइए ने उनकी जमानत का विरोध किया था। असल में तथ्य हमेशा कहानियों से जुदा होते हैं।

निधि राजदान@Nidhi

## जनपथ

बैठे दिखते बाढ़ में संग-संग मेढ़क-सर्प,
माया का टूटा दिखे उसी तरह अब दर्प।
उसी तरह अब दर्प हृदय बैरी पर रीझा,
है संकट में याद आ रहा उन्हें भतीजा।
इक-दूजे से आज अगर रहते हैं ऐंठे,
दो हजार उन्नीस गुजर जाएगा बैठे।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त ।